बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–40/2024(स्वा0) . ……………. /पटना, दिनांक–……………………………………

डॉ0 अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1270(4) दिनांक–08.11.2018 एवं सिविल सर्जन, जहानाबाद के पत्रांक–2398 दिनाक–15.11.2018 के अनुपालन में तीन माह विलंब से सदर अस्पताल, जहानाबाद में योगदान करने, मूर्च्छक के कार्य हेतु प्रशिक्षित होने के बावजूद मूर्च्छक का कार्य नहीं करने, अप्राधिकृत रूप से चिकित्सीय संस्थानो के कार्य में हस्तक्षेप करने एवं संस्थागत महिला कर्मियो से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–631(9) दिनांक–10.06.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) के आलोक में विभागीय पत्राक–1263(9) दिनांक–17.12.2025 द्वारा डा0 कुमार से सदर अस्पताल, जहानाबाद में विलंब से योगदान करने के आरोप में लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

3. डा0 कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के प्रभार में थे। उक्त संस्थान का रोगी कल्याण समिति का कैशबुक अद्यतन नहीं होने के कारण उनके द्वारा तीन माह विलंब से दिनांक–24.01.2019 को सदर अस्पताल, जहानाबाद में योगदान समर्पित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–01.11.2018 से 24.01.2019 तक प्रा0स्वा0केन्द्र, काको, जहानाबाद में कार्य किया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 कुमार के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं लिखित अभ्यावेदन प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद के पत्रांक–252 दिनांक–19.03.2019 द्वारा डॉ0 अजय कुमार का अंतिम वेतन पर्ची निर्गत किया गया है। उक्त में उल्लेख किया गया है कि डॉ0 कुमार दिनांक–01.11.2018 से 24.01.2019 तक कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। साथ ही संचालन पदाधिकारी द्वारा शेष अन्य आरोप को प्रमाणित नहीं होने का मतव्य दिया गया है। फलतः डा0 कुमार को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डा0 अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद सम्प्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–631(9) दिनांक–10.06.2025 द्वारा गठित कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–40/2024(स्वा0) 357 (9) /पटना, दिनांकः– 01.04.26

Email

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।
01 [signature]

(15)

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मगध प्रमंडल, गया/तिरहुत प्रगण्डल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, जहानाबाद/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डा0 अजय कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जहानाबाद सम्प्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2(ए), 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट पे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

01/04/2026

सरकार के अवर सचिव।